

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2883
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

यौन उत्पीड़न

2883. श्री के. नवासखनी :

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के संज्ञान में विधि विद्यार्थियों/महिला वकीलों के यौन उत्पीड़न के मामले आए हैं ;
- (ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सूचित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या मंत्रालय ने इन आरोपों की जांच हेतु कोई समिति नियुक्त की है ;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और
- (ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है ?

उत्तर

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

(क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।
